पशुपालन विभाग
मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना

- बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु सं. 183 के अन्तर्गत पशुपालकों को दुधारू गौ वंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण सम्भावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराये जाने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार हेतु दो–दो दुधारू गौ वंशीय पशुओं का अधिकतम 40 हजार रूपये तक प्रति पशु बीमा करवाया जावेगा।
- योजनान्तर्गत राशि रूपये 750 करोड़ का वार्षिक व्यय कर 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

- 8.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का पशु बीमा निःशुल्क किया जायेगा तथा 8.00 लाख रूपये से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को अधिकतम मात्र 200 रूपयें प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा।

पात्रता व आवश्यक निर्देश

- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक को दिनांक 24 अप्रेल 2023 से 30 जून 2023 तक आयोजित होने वाले महंगाई राहत केम्प, प्रशासन गॉवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान में, जन आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये अपना पंजीकरण करवाना होगा।
- योजना के तहत केवल दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा किया जायेगा।
- योजना के तहत प्रत्येक परिवार के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं पर ही लाभ देय।
- दुधारू गौवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण दूध उत्पादन के आधार पर अधिकतम 40000/– रूपये प्रति पशु होगा।
- पशु बीमा योजना प्रारंभ करने के लिये टेन्डर डॉक्यूमेन्ट तैयार करवाया जा रहा है।
- बजट घोषणा/योजना अनुरूप पंजीकृत आवेदक का पशु बीमा कार्य माह जुलाई 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।